"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 जनवरी 2010—पौष 15, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2010

अधिसूचना

क्रमांक : एफ.1-1/18/2010 .— नगरपालिका परिषद् खैरागढ़ जिला राजनांदगांव का कार्यकाल दिनांक 05-01-2010 को समाप्त होने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 16 (1) के अधीन नगरपालिका खैरागढ़ की परिषद् के स्थान पर आगामी आदेश पर्यंत निम्नांकित एक समिति का गठन करता है :-

क्रमांक (1)	नाम (2)	पिता का नाम (3)	पदनाम (4)
1.	श्री विक्रांत सिंह	श्री सिद्धार्थ सिंह	अध्यक्ष
2.	श्रीमती कांता यादव	श्री दीनदयाल यादव	उपाध्यक्ष
3.	श्री विकेश गुप्ता	श्री विजय गुप्ता	सदस्य
4.	श्री प्रफुल ताम्रकार	श्री कमलेश ताम्रकार	सदस्य
5.	श्री रामाधार रजक	स्व. श्री शंकरलाल रजक	सदस्य
6.	श्री शंकर यादव	श्री तेजऊ राम यादव	सदस्य
7.	श्री तुकाराम बोरकर	श्री गरीबा राम बोरकर	सदस्य
8.	श्री संजय ताम्रकार	श्री शंकर लाल ताम्रकार	सदस्य

Raipur, the 4th January 2010

NOTIFICATION

No. F.1-1/18/2010.— Since the period of the elected Municipal Council, Khairagarh district- Rajnandgaon is getting over on 05-01-2010. Therefore, in exercise of powers conferred under Section 16 (1) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 the State Government, hereby to constitute a following committee till the further order in place of Municipal Council Khairagarh :-

Sl. No. (1)	Name (2)	Father's Name (3)	Post (4)
1.	Shri Vikrant Singh	Shri Sidharth Singh	President
2.	Smt. Kanta Yadav	Shri Dindayal Yadav	Vice President
3.	Shri Vikesh Gupta	Shri Vijay Gupta	Member
4.	Shri Praphul Tamrakar	Shri Kamlesh Tamrakar	Member
5.	Shri Ramadhar Rajak	Lt. Shri Shankar Lal Rajak	Member
6.	Shri Shankar Yadav	Shri Tejau Ram Yadav	Member
7.	Shri Tukaram Borkar	Shri Gariba Ram Borkar	Member
8.	Shri Sanjay Tamrakar	Shri Shankar Lal Tamrakar	Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.